

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।।
2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग—३

लखनऊ: दिनांक २७ जून, 2016

विषय:—अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित अनुदान योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब-सदस्यों को आर्थिक सुविधा देने की दृष्टि से शासन द्वारा गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि करने के साथ-साथ दी जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गयी है। इस योजना को अधिक पारदर्शी एवं लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करके इंटरनेट आधारित प्रणाली से स्वीकृति एवं सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016—17 से योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती है :—

1. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता —

- (1) इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात् शहरी क्षेत्र में रु० 56,460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- (4) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (5) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

2. बजट आवंटन —

- (1). अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा जनपद में संबंधित वर्गों की जनसंख्या तथा उसवर्ग में व्याप्त गरीबी को ध्यान में रखते हुये वित्तीय



वर्ष के आरम्भ में जनपदवार नोशनल आवंटन किया जायेगा तथा उक्त आवंटन के 50 प्रतिशत की राशि अप्रैल माह में जनपद को अवमुक्त कर दी जायेगी।

- (2) यदि किसी जनपद में आवंटित बजट के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उक्त जनपद के अवशेष बजट को किसी अन्य जनपद में आवश्यकतानुसार पुर्णआवंटित कर सकेंगे।

3. ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया -

- (1) योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
जब तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आन लाइन करने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं होती है तब तक मैन्यूअल रूप से आवेदन पत्र पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्वीकार्य किये जायेंगे। आन लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरम्भ होते ही मैन्यूअल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (2) आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है।
- (3) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित "जन-सुविधा केन्द्र" के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।
- (4) ऑन लाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गयी है, तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पोर्टर पर ऑन लाइन सबमिट (submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।
- (5) ऑन लाइन शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा ऑन लाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा।
- (6) आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा।
- (7) आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है, के आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (यदि आवेदक बी०पी०एल० सूची में है, तो संबंधित सूची की छायाप्रति), यदि सोशल सेक्टर की पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक लाभान्वित हो रहा है, तो पेंशन आई०डी० सहित पेंशन धारक होने के प्रमाण पत्र सहित संबंधित विवरण ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा

- संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/विकलांग व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के मामलों में वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है, अतः संबंधित आवेदकों को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या विकलांग होने पर सक्षम रूप से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना एवं ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। सी0बी0एस0 बैंक खाते में पासबुक (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (8) लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएंगा, जो 'कोर बैंकिंग सिस्टम' के अधीन है, जिन्हें आई0एफ0एस0 कोड प्रदत्त है तथा पी0एफ0एस0 पर पंजीकृत है ताकि ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।
- (9) ऑन लाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनायी जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही उसके आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा।
- (10) ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को बिन्दु-अप में उल्लिखित आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र/आय से संबंधित प्रपत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (11) संबंधित आवेदक द्वारा आन लाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउन लोड करके उसपर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पुत्री का आधार कार्ड, शार्दी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण पत्र, विधवा/विकलांग होने की रिथति में तदसंबंधी प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता संबंधी प्रपत्र की हार्डकापी पर भी पुष्टि रखरूपे अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर साथ में संलग्न करते हुये आवेदक द्वारा हार्डकापी शादी हेतु अनुदान से संबंधित आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आन लाइन आवेदन करने की तिथी से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्यतः जमा किया जायेगा तथा संबंधित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर 'कम्प्यूटर जनरेटेड' प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी।
- (12) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आन लाइन भरे गये जिन आवेदन पत्रों की हार्डकापी समर्त संलग्नकों सहित प्राप्त होती है तथा जिन्हें कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाती है, उसे ही वरीयता क्रम में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उदाहरण रूप-यदि किसी व्यक्ति द्वारा आन लाइन आवेदन दिनांक 10 अप्रैल को किया जाता है तथा कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद दिनांक 9 मई को प्राप्त की जाती है और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आन लाइन आवेदन




दिनांक 20 अप्रैल को किया जाता है और कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद दिनांक 25 अप्रैल को प्राप्त की जाती है, तो दिनांक 20 अप्रैल को आन लाइन आवेदन करने वाले आवेदक को प्राथमिता प्रदान की जायेगी।

4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी का दायित्व :-

- (1) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदन के डाटा का मिलान हार्ड कापी से किया जायेगा एवं मिलान करने के उपरान्त उसके आवेदन पत्र को आनलाइन ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के लागिन आई०डी० पर तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदन पत्रों को संबंधित उपजिलाधिकारी के लागिन आई०डी० पर शादी की तिथि तथा उक्त तिथि के समय वधु की आयु से संबंधित प्रमाण पत्रों विधवा/विकलांग होने की पुष्टि संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र हार्ड कापी सहित कार्यालय में प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनिवार्यता अग्रसारित की जायेगी।
- (2) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आन लाइन तथा हार्डकापी में प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लिखित तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का बोर्ड आफ रेवन्यू की साइड <http://bor.up.nic.in> से सत्यापित कराया जायेगा। इसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों द्वारा आय प्रमाण पत्र में सोशल सेक्टर की पेंशन प्राप्त होने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया है उसका <http://sspy.up.gov.in> की साइड पर सत्यापन किया जायेगा तथा 07 दिनों के अन्दर अनिवार्यतः संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को आन लाइन अग्रसारित किया जायेगा।
- (3) संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि वह शादी अनुदान से संबंधित आवेदन पत्रों में उल्लिखित उपयुक्त बिन्दुओं पर अधीनरथ कर्मियों से सत्यापन कराकर 15 दिन के अन्दर तदविषयक रूपोर्ट हार्ड कापी में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने लागिन आई०डी० एवं डिजिटल हस्ताक्षर से अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे।
- (4) उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कन्या की उम्र एवं शादी की तिथि से संबंधित विवरण की पुष्टि होने के उपरान्त संबंधित अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर आवेदकों को सहायता स्वीकृति हेतु संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर आन लाइन सर्वर पर डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।
- (5) समयबद्ध कार्यवाही हेतु 15 दिन के पश्चात लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को अनुस्मारक "एस०एम०एस०" भेजा जायेगा। तदपश्चात कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में 07 दिन के उपरान्त पुनः द्वितीय अनुस्मारक "एस०एम०एस०" भेजा जायेगा। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में अपनी रूपोर्ट संस्तुति अथवा निरस्तीकरण की सूचना हार्डकापी में जिला

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी को ऐसे प्रंकरणों की सूची प्रस्तुत की जायेगी तथा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

- (6) योजनान्तर्गत समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तहसील/विकास खण्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराकर उनके संबंध में उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
- (7) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तथा उप जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्तानुसार सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने एवं संबंधित प्रमाण पत्रों के आन लाइन सत्यापन के उपरान्त उपरोक्तानुसार डिजिटल सिग्नेचर से आन लाइन अग्रसारित आवेदन पत्रों के संबंध में साफ्टवेयर में यह व्यवस्था होगी कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची अपेक्षित विवरण सहित आन लाइन जनरेट करते हुये 15 दिन के अन्दर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा तदसंबंध में संबंधित योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर हार्डकापी पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुये स्वीकृति से संबंधित मामलों में संबंधित आवेदन पत्रों को डिजिटल सिग्नेचर से पोर्टल पर प्रमाणित करना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार जो आवेदक अपात्र पाये जायेंगे, उनका भी विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करते हुये पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से कारण सहित रिजेक्ट करना सुनिश्चित करेगें।
- (8) शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत संबंधित मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों में से विधवा/विकलांग पुत्रियों की शादी के मामलों में वरीयता दिये जाने के साथ-साथ “प्रथम आगत प्रथम पावत” के अनुसार सहायता स्वीकृति किये जाने की व्यवस्था है। अतः जब तक उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच आदि की कार्यवाही कर उनकी पात्रता/अपात्रता का परीक्षण कराकर स्वीकृति/अस्वीकृति कर निस्तारण न कर दिया जाय, तब तक बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा अभ्यर्थियों के प्रपत्रों के सत्यापन हेतु नामित संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9) शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात संबंधित मामलों में संबंधित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तदुपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तदसंबंध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ही पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जायेगी।



- (10) योजनान्तर्गत 'प्रथम आगत प्रथम पावत' सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान संबंधित को किया जायेगा।
- (11) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी।

5. जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति :-

शादी अनुदान योजनान्तर्गत आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. | समर्त उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| 4. | समर्त खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य |
| 5. | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी | सदस्य |

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं। समिति में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- (2) सदस्य सचिव द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में संबंधित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि, कुल प्राप्त आवेदन पत्र, भुगतान की गयी धनराशि, नये लाभार्थियों को सहायता स्वीकृति की स्थिति, सत्यापन की स्थिति तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की प्रगति आदि का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

6. विलम्ब की स्थिति में वांछित कार्यवाही :-

ऐसे सभी प्रकरणों जहाँ आनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्रों का निस्तारण संबंधित उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो जिलाधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारी के माध्यम से उक्त प्रकरणों की 15 दिनों के अन्दर जांच कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजनार्थ साफ्टवेयर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से कार्यवाही अनुमन्य करने की व्यवस्था भी की गयी है। विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित तहसील/विकास खण्ड में इस प्रयोजनार्थ नामित नोडल अधिकारी के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस योजना के कियान्वयन में किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय।

7. शादी अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तरीय समिति :-

शादी अनुदान स्वीकृति किये जाने हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है :-

- | | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. | जनपद के समर्त मा० सांसदगण अथवा | |

- | | |
|--|---|
| <p>उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि</p> <p>4. जनपद के समस्त विधायकगण अथवा
उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि</p> <p>5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी</p> <p>समिति के सदस्य—सचिव द्वारा आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची
सुसंगत सूचनाओं सहित तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा
उपलब्ध बजट के सापेक्ष पात्र व्यक्तियों की सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त
करते हुये निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुये सहायता धनराशि
का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>8. <u>वित्तीय सहायता की धनराशि</u> :—</p> <p>वित्तीय सहायता की देय धनराशि ₹0 20,000/- (₹0 बीस
हजार मात्र) प्रति शादी होगी। एक परिवार में अधिकतम 02 पुत्रियों की
शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।</p> <p>9. <u>अभिलेखों का रख—रखाव</u> :—</p> <p>इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्न
अभिलेखों का रख—रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा :—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी एवं उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के
स्तर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त प्रपत्र पत्रावली। (2) जिला स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये आवेदन
पत्रों की पंजी एवं पत्रावली। (3) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से संबंधित पूर्व निर्धारित पंजी। <p>उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की
हार्डकापी एवं संबंधित पंजिकाओं को अद्यतन संरक्षित करने तथा भुगतान
के उपरान्त पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की सूची से
भुगतान पंजी को अद्यतन करने, संबंधित डेटा को डी०वी०डी० में सुरक्षित
एवं संरक्षित करने तथा आडिट कराने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक
कल्याण अधिकारी का होगा।</p> <p>10. <u>योजना का प्रसार—प्रचार</u> :—</p> <p>शादी अनुदान में आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के
अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जायेगा, जिसमें
आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के साथ—साथ प्रारूप की शर्तों, देय सहायता,
आवेदन पत्र भरने के समय आवश्यक प्रपत्रों आदि की विस्तृत जानकारी होगी।
आवश्यकतानुसार होर्डिंग, पोस्टर, हैण्डविल आदि के माध्यम से इसका
प्रचार—प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित प्रचार—प्रसार पर होने वाला
व्यय संबंधित विभाग के प्रशासनिक/कार्यालय व्यय मद में आवंटित धनराशि से
किया जायेगा।</p> <p>11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के साथ
समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त उपजिलाधिकारी/ खण्ड
विकास अधिकारी एवं योजना के कियान्वयन के संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के
समक्ष साफ्टवेयर का प्रदर्शन करा दिया जाय तथा इस संबंध में उनकी जिज्ञासा का</p> | <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य / सचिव</p> |
|--|---|

समाधान हो जाय। किसी भी तकनीकी समर्थ्या का निराकरण जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित करके सुनिश्चित करेंगे।

कृपया योजना के क्रियान्वयन हेतु तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जय प्रकाश सिंह २९/६/२०११
सचिव

संख्या—1941(1) / 52—३—१६—तददिनांक।

प्रतिलिपि—

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त / उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल / इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी।